मै0 जय बद्री केदार सोप स्टोन माइन्स एवं मिनरल्स, ग्राम घूनी, तहसील घाट, जनपद चमोली गढ़वाल में सोप स्टोन के खनन के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 20.12.2019, समय 12.00 बजे, स्थल ग्राम–घूनी, तहसील घाट जनपद चमोली का कार्यवृत्त।

मै0 जय बद्री केदार सोप स्टोन माइन्स एवं मिनरल्स ग्राम– घूनी तहसील घाट, जनपद चमोली में सोप स्टोन के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथा संशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 20.12.2019 को जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिला अधिकारी, चमोली श्री मोहन सिंह वर्निया की अध्यक्षता में परियोजना स्थल ग्राम घूनी, तहसील घाट, जनपद चमोली में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। सुनवाई के दौरान उप जिलाधिकारी, चमोली भी उपस्थित थीं। राज्य प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) एवं श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दोपहर 12.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 जय बद्री केदार सोप स्टोन माइन्स एवं मिनरल्स द्वारा ग्राम– घूनी तहसील घाट, जनपद चमोली में सोप स्टोन के खनन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 19.11.2019 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से

आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 जय बद्री केदार सोप स्टोन माइन्स एवं मिनरल्स के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री भुवन जोशी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 23.733 है0 है, जिसमें 30305 टन/वर्ष सोप स्टोन निकाला जायेगा, जो कि ग्राम घूनी, तहसील घाट, जनपद चमोली में स्थित है। उक्त परियोजना ग्राम घूनी के काश्तकार की निजी भूमि पर प्रस्तावित है। निजी भूमि, भूमि स्वामी की सहमति के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जाएगी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सोप स्टोन का खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न कार्यो में किया जायेगा। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से लगभग 50 व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा। उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई व 2–3 मीटर चौड़ाई तक खनन किया जायेगा। खनन कार्य के उपरान्त उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा और खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा खनन कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री जोशी द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग रास्तों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण, पेयजल, स्वास्थ्य आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री लखपत सिंह नेगी (ग्राम प्रधान, घूनी) निवासी गौणा** द्वारा खनन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है और कहा गया कि खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से स्थानीय ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो, उसके लिये स्वास्थ्य कैम्प लगाये जाए।

उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय ग्रामवासियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।

2. **श्री महेन्द्र सिंह रावत, निवासी ग्राम घूनी** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के दौरान समय–समय पर सड़क की मरम्मत प्रस्तावक द्वारा की जाय। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माइनिग प्लान में स्पष्ट होना चाहिए कि माइनिंग के दौरान कोई स्लाइडिंग होती है, तो उसका मुआवजा भी प्रभावित को मिलना चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय निवासियों को रोजगार दिये जाने का आश्वासन दिया जाए तथा खनन के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किये जाने की उचित व्यवस्था की जाए। उनके द्वारा पहाड़ के प्राकृति जल को बचाने हेतु प्लांटेशन किये जाने पर जोर दिया गया।

3. **श्री महेन्द्र सिंह रावत, निवासी ग्राम घूनी** द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने पर जोर दिया गया।

4. **श्री हरीश सिंह रावत, (क्षेत्र पंचायत सदस्य) ग्राम घूनी** द्वारा क्षेत्र में पूर्व में संचालित माइन्स के बारे बताया गया कि उनके द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तथा ग्रामवासियों की समस्याओं का निदान नहीं किया गया और न ही उनकी समस्याऐं सुनी। इसके अतिरिक्त लोगों को माल ढुलाई का भुगतान भी नहीं किया गया था। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर समय–समय पर मार्गों मरम्मत की जाए तथा घोड़ो–खच्चरों के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने पर जोर दिया गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्राम सभा एवं परियोजना प्रस्तावक के मध्य ग्रामीणों की समस्याऐं, पानी, स्वास्थ्य, सड़क एवं लेबर रेट का एग्रीमेंट होना चाहिए।

5. **श्रीमती बसन्ती देवी, (अध्यक्ष महिला मंगलदल) ग्राम घूनी** द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए।

6. **श्री नत्थी लाल, निवासी ग्राम घूनी** द्वारा अपनी विकलांग लड़की की पेंशन के सम्बन्ध में बात कही गई एवं रोजगार देने के बारे में कहा गया।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 जय बद्री केदार सोप स्टोन माइन्स एवं मिनरल्स के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक विधि से मैन्युली किया जाएगा एवं किसी प्रकार की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा एवं भूमि कटान को रोकने हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके

द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में रू0 920000/– का व्यय प्रतिवर्ष प्रस्तावित है, स्कूल स्वच्छता के क्षेत्र में रू0 138000/– का व्यय, प्रतिवर्ष स्कूल में पठन–पाठन के क्षेत्र में रू0 27000/– तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के रखरखाव में रू0 42000/– प्रतिवर्ष का व्यय प्रस्तावित है एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रू0 200000/– प्रतिवर्ष व्यय प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

अन्त में लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा लोक सुनवाई में आये ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया।

संलग्नक–

1. फोटो– 03 प्रतियां
2. डी0वीडी0– 03 प्रतियां
3. उपस्थिति पंजिका– 03 प्रतियां

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी
यू0ई0पी0पी0सी0बी0
देहरादून

(मोहन सिंह वर्निया)
अपर जिलाधिकारी
चमोली

दिनांक 20.12.2019 को मै० बद्री केदार सोप स्टोन माइंड & मिनरल्स नैनविहार रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल द्वारा ग्राम धूनी तहसील घाट जिला चमोली में आयोजित लोक सुनवाई की उपस्थिति का विवरण

S.NO	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री एम० एस० वर्मिया	ADM	Chamoli	[signature]
2.	श्री सुन्दर सिंह चौहान	ASO	UEPPCB. Dun	[signature]
3.	श्री सुनील डबराल	MA	do.	[signature]
4	श्री भुवन चन्द्र जोशी	Env. Consultant	D.Dun.	
5	डा. महादेव सेमवाल	Env Consultant	D.Dun.	[signature]
6	सुदर्शन सिंह रावत			[signature]
7	रमेश सिंह	ग्राम रामणी		[signature]
8	प्रताप सिंह	धूनी		[signature]
9	रणजीत सिंह	धूनी		रणजीत सिंह
10	करण सिंह	धूनी		[signature]
11	दिनेश सिंह	धूनी		
12	महेन्द्र सिंह	धूनी		महेन्द्र सिंह
13	सुरेन्द्र ~~सिंह~~ लाल	धूनी		सुरेन्द्र लाल
14	कली राम	धूनी		[signature]
15	भरत सिंह रावत	धूनी		[signature]
16	सुरेन्द्र राम	धूनी		[signature]
17	राजेन्द्र लाल	धूनी		[signature]
18	मनोज राम	धूनी		[signature]
19	महेन्द्र सिंह	धूनी		महेन्द्र सिंह
20	हरपाल लाल	धूनी		[signature]
21	केदार सिंह	धूनी		केदार सिंह
22	दुलप सिंह	धूनी		[signature]
23	रणजीत लाल	धूनी		रणजीत लाल

24	जोत सिंह	धूनी		53
25	पुरनी राम	धूनी		56
26	कुशलानन्द पाण्डे	धूनी		57
27	भोपानू राम	धूनी		58
28	गन्दानी राम	धूनी		59
29	महेन्द्र सिंह	धूनी		54
30	लखपत सिंह नेगी ग्राम प्रधान	धूनी		55
31	हरीश रावत क्षेत्रपंचायत सदस्य	धूनी		56
32	बसन्ती देवी महिलामंगलदल अध्यक्ष	धूनी	बसन्ती देवी	57
33	कुँवर सिंह	धूनी		58
34	सोहन सिंह पूर्व सरपंच	धूनी		59
35	बलम सिंह	धूनी		60
36	पुरण सिंह	धूनी		61
37	यशोदा देवी	धूनी		62
38	राधा देवी	धूनी		63
39	भवानी देवी	धूनी		64
40	कस्तुरा देवी	धूनी		65
41	~~कुन्ती~~ आशादेवी	धूनी		66
42	सुरेन्द्र सिंह	धूनी		70
43	महेन्द्र सिंह	धूनी		71
44	नथी राम	धूनी		72
45	दलवीर सिंह	धूनी		73
46	सुरेन्द्र सिंह पूर्वउपप्रधान	धूनी		74
47	सुदर्शन सिंह	धूनी		
48	कुँवरसिंह	धूनी		
49	नेमसिंह	धूनी		
50	देवेन्द्र सिंह	धूनी		
51	भगवती प्रसाद	धूनी		
52	मोहनसिंह	धूनी		
53	पुष्करसिंह	धूनी		

55	गौतम पाण्डे	धूनी	[signature]
56	रमेश पाण्डे	धूनी	[signature]
57	खिलापसिंह युवकमंगलअध्यक्ष	धूनी	[signature]
52	पुरणसिंह ग्राम	रामनी	[signature]
53	राजेन्द्र सिंह	धूनी	राजेन्द्र सिंह
54	पवन सिंह	धूनी	
55	सुन्दर सिंह रावत	धूनी	[signature]
56	दिनेश सिंह रावत	धूनी	[signature]
	महावीर सिंह	धूनी	महावीर
57	देवेन्द्र सिंह	धूनी	[signature]
58	भूपेन्द्र सिंह गोमाल	धूनी	[signature]
59	राजेन्द्र सिंह	धूनी	
60	बिरेन्द्र सिंह	धूनी	
61	हरीश रावत [illegible]	धूनी	[signature]
62	[illegible]	राजपूत	[signature]
63	भगवती प्रसाद	राजपूत	[signature]
63	[illegible]	"	[signature]
64	नरेन्द्र सिंह	"	[signature]
65	अनुज बण्डवाल	RSD	[signature]
70	Lakhpat	[signature]	[signature]
71	मदन सिंह	[illegible]	[signature]
72	Praveen Bansal	धूनी	[signature]
73	[illegible] सिंह	धूणी	[signature]
74	Amirpitre	धूणी	[signature]

[signature] 20/12/2019